

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 31 अगस्त, 2012

संख्या का0आ065/ह0अ016/1994/धा0 32/2012-हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2012 कहे जा सकते हैं।

2 हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(i) उपायुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा की निगरानी, निर्देश तथा नियंत्रण में सुसंगत निर्वाचन खण्ड में यथा शामिल किए गए विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे भाग के लिये तय समय लागू लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का केन्द्रिय अधिनियम 43)के उपबन्धों के अधीन तैयार की गई विधान सभा की निर्वाचक नामावली के आधार पर इन नियमों के अनुसार निगम के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये नामावली, किसी संशोधन, विलोपन अथवा परिवर्धन अथवा किसी नाम के समावेशन के अधीन रहते हुए तैयार करवाएगा तथा वह निगम के उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली होगी।

3. उक्त नियमों में, नियम 21 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ix) के परन्तुक में, “दसवें” शब्द के स्थान पर, “सातवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

4. उक्त नियमों में, नियम 70ठ में, उप नियम (1) तथा (4) में, “दस” शब्द के स्थान पर “सात” शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. उक्त नियमों में, प्ररूप क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किये जायेगें, अर्थात् :-

“प्ररूप-क

{देखिए नियम 9(1) (क), 14 और 15}

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन				
<p>सेवा में</p> <p align="center">पुनरीक्षण प्राधिकारी/उपायुक्त</p> <p align="center">नगर निगम.....वार्ड संख्या.....</p> <p>महोदय,</p> <p>मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त नगर निगम के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए । निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्योरे नीचे दिये गये हैं ।</p>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> छल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सेंमी0X 3.05 सेंमी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान </div>				
I. आवेदक का ब्यौरा		नाम		उपनाम (यदि कोई है)
1 जनवरी.....को आयु		वर्ष	मास	लिंग (पुरुष/स्त्री):
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	दिन:		मास	वर्ष
जन्म का स्थान:	ग्राम/नगर			राज्य
जिला				
पिता/माता/पति का नाम		नाम		उपनाम (यदि कोई है)
II. सामान्य निवास स्थान के विवरण (पूरा पता)				
मकान/गृह संख्या:				
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/				
मोहल्ला/सड़क:				
नगर/ग्राम:				
डाकघर:		पिन कोड		
तहसील/तालुक/मंडल/थाना:				
जिला:				
III. नगरनिगम की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित किए गए आवेदक के परिवार के सदस्य(यों) के ब्योरे:				
नाम	आवेदक के साथ सम्बंध	वार्ड की नामावली की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या	निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र संख्या
1.				
2.				

iv घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार :-

- (i) मैं भारत का नागरिक हूँ ;
- (ii) मैं..... (तिथि, मास, वर्ष) से उपर्युक्त भाग-II में दिए गए पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ ;
- (iii) मैंने किसी अन्य निगम की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ;
- (iv) इस या किसी अन्य नगरनिगम के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है ;

या

मेरा नाम नगर निगम कीवार्ड संख्या.....राज्य की, जिसमें मैं नीचे वर्णित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर लिया गया होगा और यदि ऐसा है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान) ----- -----	निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) संख्या----- जारी करने की तारीख-----
---	--

स्थान:	
तारीख:	आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणी:- कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8 ग के अधीन दंडनीय होगा ।

अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्योरे
(नगर निगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी..... के निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/ नामंजूर कर दिया गया है।

हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत ब्योरे:

स्थान:		
तारीख:	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पता.....

से प्ररूप क में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:.....

पुनरीक्षण प्राधिकारीकी ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर

(पता).....

.....

{ देखिए नियम 9(2)(क), 14 और 15 }

निर्वाचक नामावली में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन			
सेवा में पुनरीक्षण प्राधिकारी/उपायुक्त नगर निगमवार्ड संख्या..... महोदय, मैं उपर्युक्त नगर निगम के लिए निर्वाचक नामावली में नीचे वर्णित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ । मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं: या मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे/नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:			
1, उस व्यक्ति का ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किये जाने पर आक्षेप किया गया है	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
	मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :
II.आक्षेपकर्ता का ब्यौरा लिंग पुरुष/स्त्री	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
	मतदाता सूची की भाग संख्या जिसमें आक्षेपकर्ता का नाम सम्मिलित किया गया है		उस भाग में उसकी क्रम संख्या :
पिता/माता/पति का नाम	नाम		उपनाम (यदि कोई है)
III. आक्षेपकर्ता//नाम हटाए जाने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)			
मकान/गृह संख्या:			
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र			
मोहल्ला/सड़क:			
नगर/ग्राम:			
डाकघर:	पिन कोड		
तहसील/तालुक/मंडल/थाना:			
जिला			
आक्षेप/हटाए जाने के लिए कारणों			

IV. घोषणा:

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणी:- कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा ।

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर निगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)**

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप ख में मतदाता सूची मे श्री/श्रीमती/कुमारी..... के नाम को सम्मिलित किए जाने पर/हटाए जाने हेतु आक्षेप करने के लिए दिया गया आवेदन स्वीकार कर लिया गया है /नामंजूर कर दिया गया है ।

हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण:

स्थान:		
तारीख:	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पता.....

.....

से प्ररूप ख में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:.....

पुनरीक्षण प्राधिकारी की ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर

(पता).....

.....

प्ररूप ग

{देखिए नियम 9(3) (क), 14 और 15 }

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन			
सेवा में		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> छल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सें0मी0X 3.05 सें0मी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान </div>	
पुनरीक्षण प्राधिकारी/उपायुक्त नगर निगमवार्ड संख्या.....			
महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में प्रकट मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए । मेरे निवेदन के समर्थन में शुद्ध विवरण नीचे दिये गए हैं:-			
II. आवेदक का ब्यौरा		नाम	उपनाम (यदि कोई है)
निर्वाचक नामावली की भाग संख्या:		उस भाग में क्रम संख्या:	
प्रथम जनवरी.....को आयु	वर्ष	मास	लिंग पुरुष/स्त्री
जन्म तिथि, यदि ज्ञात है:	दिन	मास	वर्ष
जन्म का स्थान:	ग्राम/नगर:		राज्य:
	जिला:		
पिता/माता/पति का नाम	नाम	उपनाम (यदि कोई है)	
II. मामूली तौर से निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)			
मकान/गृह संख्या:			
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:			
नगर/ग्राम:			
डाकघर:	पिन कोड		
तहसील/तालुक/मंडल/थाना.:			
जिला			
III. निर्वाचक के फोटो पहचान-पत्र का विवरण : (यदि इसमें या अन्य किसी नगर निगम में जारी किया गया है)			
निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या:			
नगर निगम का नाम:			
IV. शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों का विवरण			
इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई जानकारी के निबन्धनों के अनुसार मेरा नाम-आयु/मेरे पिता/माता/पति का नाम/लिंग/पता शुद्ध कर दिया जाए ।			
स्थान:			
तारीख:	निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान		

टिप्पणी:- कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषण करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(नगर निगम के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती /कुमारी..... के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि शुद्ध करने हेतु प्ररूप क में दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/ नामंजूर कर दिया गया है।

हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 10 के अधीन या उसके अनुसरण में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण:

स्थान: तारीख:	पुनरीक्षण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	(पुनरीक्षण प्राधिकारी की मुहर)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान ।

अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पता.....

से प्ररूप ग में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:.....

पुनरीक्षण प्राधिकारीकी ओर से
आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर
(पता).....

“प्ररूप-घ

(देखिए नियम 14 और 15 }

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को स्थानान्तर के लिए आवेदन

सेवा में

उपायुक्त.....

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि नगर निगम वार्ड

..... की निर्वाचक नामावली में मुझसे/नीचे नामित व्यक्ति से

संबंधित प्रविष्टि, इस नगर निगम की नामावली के सुसंगत भाग में

स्थानान्तर कर दी जानी चाहिए । स्थानान्तर की जाने वाली प्रविष्टि

का विवरण नीचे दिया गया है:-

खल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (3.05 सेंमी0X 3.05 सेंमी0) जिसमें इस बाक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

1. उस व्यक्ति के ब्योरे जिसकी प्रविष्टि को स्थानान्तर की जानी है	नाम		उपनाम (यदि कोई हो)
	मतदाता सूची के उस भाग की संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :
पिता/माता/पति का नाम	नाम		उपनाम (यदि कोई है)

II. वर्तमान साधारण निवास स्थान का विवरण (पूरा पता):

मकान/गृह संख्या:

गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/

मोहल्ला/सड़क:

नगर/ग्राम:

डाकघर:	पिन				
--------	-----	--	--	--	--

तहसील/तालुक/मंडल/थाना:

जिला:

III. आवेदन की तारीख को उपर्युक्त पते पर लगातार निवास करने की अवधि	वर्ष	मस
--	-------------	-----------

प्यणवह भाग संख्या, जिसमें प्रविष्टि स्थानांतरित की जानी है (यदि ज्ञात हो)

IV.

V. आवेदक के ब्योरे	नाम		उपनाम (यदि कोई हो)
	मतदाता सूची के उस भाग संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :	उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :	निर्वाचक की फोटो पहचान-पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :

टिप्पणी:- कोई व्यक्ति जो ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 8ग के अधीन दंडनीय होगा।

VI. घोषणा:

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

की गई कार्रवाई के ब्यौरे

(जिला के उपायुक्त द्वारा भरा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी से स्वयं श्री/श्रीमती/कुमारी.....

..... से संबंधित प्रविष्टि के निर्वाचक नामावली में अन्यत्र स्थानांतरण के लिए

प्ररूप घ में प्राप्त आवेदन को स्वीकार/नामंजूर कर दिया गया है।

हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8ग के अधीन या उसके अनुसरण

में स्वीकार करने या नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण:

स्थान:

तारीख:

उपायुक्त के हस्ताक्षर

(उपायुक्त की मुहर)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसके सतत् अद्यतीकरण के दौरान।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें

क्षेत्रीय स्तर अधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी, अभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी)

की टिप्पणी

आवेदन की पावती

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पता.....

से प्ररूप घ में आवेदन प्राप्त किया।

दिनांक.....

उपायुक्त की ओर से आवेदन प्राप्त

करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

पता.....

.....)।"

(राम निवास)

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़

**HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
NOTIFICATION**

The 31st August , 2012

No. S.O.65/H.A.16/1994/S. 32/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2012.

2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in rule 4, for sub rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(i) The Deputy Commissioner shall under the superintendence, direction and control of the State Election Commissioner, Haryana cause to be prepared roll for each constituency of the Corporation in accordance with these rules on the basis of the electoral roll of the Assembly prepared under the provisions of the Representation of People Act, 1950 (central Act 43 of 1950), for the time being in force for such part of the constituency of the Assembly as is included in the relevant electoral division, subject to any amendment, deletion or addition or any inclusion of any name and same shall, be the electoral roll for that constituency of the Corporation.”

3. In the said rule, in rule 21, in sub rule (2), in the proviso to clause (ix), for the word “tenth”, the word “seventh” shall be substituted

4. In the said rules, in rule 70N, in sub rules (1) and (4) for the word ”ten”, the word ”seven” shall be substituted.

5. In the said rules, for Forms A, B, C and D, the following Forms shall be substituted, namely:-

“FORM-A

[See rule 9(1)(a), 14 and 15]

Application for inclusion of name in electoral roll				
To The Revising Authority/Deputy Commissioner _____, Municipal Corporation _____ Ward No. _____				SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.
I request that my name be included in the electoral roll for the above Municipal Corporation. Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral rolls are given below:				
V. Applicant's details		Name	Surname (if any)	
Age on 1st January _____	Years	Months	Sex Male/Female	
Date of Birth, if known:	Day	Month	Year	
Place of Birth :	Village/Town			
	District		State	
*Father's Mother's Husband's	Name	Surname (if any)		
II. Particulars of place of ordinary residence (full address)				
House/Door number:				
Street/Area/Locality/Mohalla/Road:				
Town/Village:				
Post Office :		Pin Code		
Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:				
District:				
III. Details of member(s) of applicant's family already included in the current electoral roll of the Municipal Corporation				
Name	Relationship with applicant	Part number of the roll of the Ward	Serial number in that Part	Elector's Photo Identity Card Number
1.				
2.				
IV. Declaration				
I hereby declare that to the best of my knowledge and belief:				
(i) I am a citizen of India				
(ii) I am ordinarily resident at the address given in para II above since _____ (date, month, year),				

- (iii) I have not applied for the inclusion of my name in the electoral roll for any other Corporation.
- (iv) *My name has not already been included in the electoral roll for this of any other Municipal Corporation.

OR

*My name may have been included in the electoral roll for _____ Ward _____ Corporation in _____ State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll.

Full address (Earlier place of ordinary residence): _____ _____	Electors photo Identity Card (if issued) Number _____ Date of issue _____
Place :	Signature or thumb impression of the claimant
Date :	

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

*Strike out the inappropriate alternative

Detail of action taken (To be filled by Revising Authority of Municipal Corporation)

The application of Shri/Smt/Km. _____ for inclusion of name in the electoral roll in Form-A has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 10 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994

Place:	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)
Date:		

During continuous updating after final publication of electoral roll.

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-A of Shri/Shrimati/Kumari _____

Address _____

Date: _____

Signature of the officer receiving the application on behalf of the Revising Authority

(Address _____)

FORM-B

[See rule 9(2) (a), 14 and 15]

Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in electoral roll			
<p>To</p> <p style="text-align: center;">The Revising Authority/Deputy Commissioner _____,</p> <p style="text-align: center;">Municipal Corporation _____ Ward No. _____</p> <p>Sir,</p> <p>I object to the proposed inclusion of the name of the undermentioned person in the electoral roll for the above Municipal Corporation. Particulars in support of my objection are given below:</p> <p>OR</p> <p>I submit that the entry relating to myself/the person named below is required to be delete for the reasons stated hereunder:</p>			
<p>I. Details of person inclusion of whose name is objected to:</p> <p style="text-align: center;">Details of person whose entry is to be deleted</p>	<p>Name</p>		<p>Surname (if any)</p>
	<p>Part number of electoral roll in which his/her name is included:</p>	<p>His/her serial number in that Part:</p>	<p>Elector's Photo Identity Card number (if issued)</p>
<p>Details of objector</p> <p>SEX (Male/Female/Others)\$</p>	<p>Name</p>		<p>Surname (if any)</p>
	<p>Part number of electoral roll in which objector's name is included:</p>		<p>His/her serial number in that Part:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Father's Name • Mother's Name • Husband's 	<p>Name</p>		<p>Surname (if any)</p>
<p>III. Particulars of place of ordinary residence of objector/person seeking deletion (full address)</p>			
<p>House/Door number:</p>			
<p>Street/Area/Locality/Mohalla/Road:</p>			
<p>Town/Village:</p>			
<p>Post Office :</p>		<p>Pin Code</p>	
<p>Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:</p>			
<p>District:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Reason(s) for objection/deletion: 			
<p>IV. Declaration</p> <p>I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.</p>			
<p>Place :</p>			
<p>Date :</p>		<p align="right">Signature or thumb impression of the claimant</p>	

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

**Strike out the inappropriate alternative*

Detail of action taken (To be filled by Revising Authority of Municipal Corporation)

The application of Shri/Smt/Km. _____ objecting to inclusion/seeking deletion of name of Shri/Smt./Km _____ in the electoral roll in Form-B has been accepted/rejected.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 10 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994.

Place:		
Date:	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)

During continuous updating after final publication of electoral roll.

**Strike out the inappropriate alternative*

During continuous updating after final publication of electoral roll.

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-B of Shri/Shrimati/Kumari _____

Address _____

Date: _____

Signature of the officer receiving the application on

Behalf of the Revising Authority

(Address _____)

FORM-C

[See rule 9(3) (a), 14 and 15]

Application for correction to particulars entered in electoral roll								
<p>To</p> <p style="text-align: center;"><i>The Revising Authority/Deputy Commissioner_____</i>,</p> <p style="text-align: center;"><i>Municipal Corporation_____Ward No._____</i></p> <p>Sir,</p> <p style="text-align: center;"><i>I request that entry relating to myself appearing in the electoral roll the above be included in the electoral roll for the above Municipal Corporation is not correct and it should be corrected. Correct particulars in support of my request are given below:</i></p>						SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.		
I. Applicant's details		Name			Surname (if any)			
Part Number of electoral roll				Serial number in that Part				
Age on 1st January_____		Years		Months		Sex Male/Female		
Date of Birth, if known:		Day			Month		Year	
Place of Birth :		Village/Town						
		District				State		
*Father's		Name			Surname (if any)			
Mother's		Name						
Husband's								
II. Particulars of place of ordinary residence (full address)								
House/Door number:								
Street/Area/Locality/Mohalla/Road:								
Town/Village:								
Post Office :				Pin Code				
Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:								
District:								
III. Details of elector's Photo Identity Card (if issued, in this or some other Municipality)								
Elector's Photo Identity Card Number								
Name of Municipal Council/Committee								
IV. Detail of entries to be corrected:								
*My name/*Age/*Father's/Mother's/Husband's name/*Sex/*Address may be corrected in term of information provided in this form above.								
Place:								
Date:				Signature or thumb impression of the elector				

Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994).

**Strike out the inappropriate alternative*

Detail of action taken (To be filled by Revising Authority of Municipal Corporation)

The application of Shri/Smt/Km. _____ for correction of entry in the electoral roll in Form-C has been accepted*/rejected*.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 10 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994.

Place:		
Date:	Signature of Revising Authority	(Seal of the Revising Authority)

During continuous updating after final publication of electoral roll.

**Strike out the inappropriate alternative*

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-C of Shri/Shrimati/Kumari _____

Address _____

Date: _____

Signature of the officer receiving the application on
Behalf of the Revising Authority

(Address _____)

FORM-D

[See rule 14 and 15]

Application for transposition of entry in electoral roll			
<p>To</p> <p align="center"><i>The Deputy Commissioner,</i></p> <p align="center">_____</p> <p>Sir,</p> <p align="center"><i>I request that entry in the electoral roll for the Municipal Corporation</i></p> <p align="center">_____ <i>Ward</i> _____ <i>relating to myself/person named below</i></p> <p><i>should be transposed to the relevant part of the roll in this Municipal Corporation. Particulars of the entry to transposed are given below:</i></p>		<p align="center">SPACE FOR PASTING ONE RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (3.5 cm X 3.5 cm) SHOWING FRONTAL VIEW OF FULL FACE WITHIN THIS BOX.</p>	
<p>I. Details of person whose entry is to be transposed:</p>	Name		Surname (if any)
	Part number of electoral roll in which his/her name is included:	His/her serial number in that part:	Elector's Photo Identity Card number (if issued)
<ul style="list-style-type: none"> • Father's Mother's Husband's <p align="center">Name</p>	Name		Surname (if any)
II. Particulars of present place of ordinary residence (full address)			
House/Door number:			
Street/Area/Locality/Mohalla/Road:			
Town/Village:			
Post Office :		Pin Code	
Tehsil/Taluka/Mandal/Thana:			
District:			
III. Period of continuous residence at the above address on the date of application		Years:	Months:
IV. Part number to which the entry has to be transposed (if known)			
<p>V. Details of applicant:</p>	Name		Surname (if any)
	Part number of electoral roll in which his/her name is included:	His/her serial number in that Part:	Elector's Photo Identity Card number (if issued)
<p>Note: Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is punishable under section 8C of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994)</p>			

VI. Declaration

I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Date

Signature or thumb impression of the applicant

Detail of action taken

(To be filled by Deputy Commissioner of the district)

The application of Shri/Smt/Km. _____ for transposition of entry relating to himself/herself/Shri/Smt./Km Shri/Smt./Km _____ in the electoral roll in Form-D has been accepted/rejected.

Detailed reasons for acceptance or rejection under or in pursuance of rule 13 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994.

Place:		
Date:	Signature of Deputy Commissioner	(Seal of the Deputy Commissioner)

*Strike out the inappropriate alternative

Remarks of Field Level Officer (e.g. Block Level Officer, Designated Officer, Supervisory Officer)

Receipt of application

Received the application in Form-D of Shri/Shrimati/Kumari _____

Address _____

Date: _____

Signature of the officer receiving the application on

Behalf of the Deputy Commissioner

(Address _____).”

To be filled in by the applicant

RAM NIWAS
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department, Chandigarh